□□□□□□□□□□ □□□□□□

जनसत्ता 16 जुलाई, 2013: इक्बाल साथी है। हमारे साथ अनौपचारिक शिक्षा की 'दूसरा दशक' मुहिम में काम करता है। हम सब उसे इक्बाल नाम से बुलाते हैं। उसके सभी कागज-पत्रों में भी इक्बाल ही लिखा होता है। इक्बाल खान या इक्बाल मोहम्मद या इक्बाल मेहर नहीं। लेकिन फ्लोदी के आइसीआइसीआइ बैंक ने अपने सामने इक्बाल के लिए इस अकेले नाम से संकट अनुभव किया है। वहां के बैंक अधिकारी कहते हैं, यह क्या नाम हुआ भला? आगे-पीछे भी तो कुछ हो! हमने उनसे सवाल किया है कि क्यों हो?

'दूसरा दशक' के तीन कार्यकर्ता इक्बाल के साथ खाता खुलवाने बैंक गए। इक्बाल के साथ गए रेवंत राम, अनिल कंवर और हरीश कुमार के खाते तो बैंक वालों ने खोल दिए, लेकिन इक्बाल का खाता खोलने से इनकार कर दिया। इक्बाल ने जब कारण पूछा तो जवाब मिला- अकेले इक्बाल नाम से खाता नहीं खुलता। इसके बाद उन्होंने इक्बाल से पूछा- आप नाम के पीछे खान या मोहम्मद कुछ तो लगाते होंगे, जैसे आपके साथियों ने राम, कंवर और कुमार लगा रखा है! इक्बाल ने कहा- नहीं, मेरा नाम इतना ही है। पहली कक्षा से लेकर बी ए की पढ़ाई तक ऐसा ही रहता आया है।

इक्बाल ने बैंक प्रबंधक को दसवीं की अंकतालिका, मतदाता पहचान-पत्र, राशन कार्ड, मूल-निवासी प्रमाण-पत्र आदि दिखा कर कहा कि सभी दस्तावेजों में मेरा नाम इक्बाल है। मगर बैंक वालों पर इन दस्तावेजों का कोई असर नहीं हुआ। वे बोले कि दो शब्दों के नाम के बगैर खाता नहीं खुल सकता। खाता खुलवाना है तो इक्बाल के पीछे अब कुछ लगा लो। इक्बाल को परेशान देख बैंक अधिकारी ने ही रास्ता सुझाया- तुम अपने नाम के पीछे खान या मोहम्मद या कुछ भी जोड़ कर अपने सरपंच से प्रमाणित करा कर ले आओ, हम खाता खोल देंगे।

इतना सब कुछ झेलने के बाद इक्बाल को लगा, बैंक में खाता खोलने के लिए नाम बदलने के सिवा उसके सामने कोई चारा नहीं है।

मैंने सुनी कहानी आपको बताई है। मेरे मन में शंका खड़ी हुई थी कि कहीं यह नाहक परेशान करने का मामला तो नहीं है! सो, अगले दिन मैं बैंक मैनेजर से मिला। मैंने सवाल किया- इक्बाल को खान क्यों बनाते हैं?

उन्होंने वही बातें दुहरा दीं जो कल इक्बाल को कही थीं। उनमें एक बात जोड़ी- महज इक्बाल लिखने से कोई उनके खाते से फर्जी लेन-देन कर सकता है। उन्होंने रिजर्व बैंक की गाइड लाइन का उल्लेख किया, 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) के नियम भी बताए। मैंने कुछ तर्क करने की कोशिश की, पर विफल रहा। वे यह भी बोले कि खाता खोलने के लिए हमें मंजूरी लेनी पड़ती है। अगर हम इन दस्तावेजों के साथ फॉर्म ऊपर भेज भी देते हैं तो वहां से नामंजूर होकर लौट आएगा।

जाहिर है, नाम बदलने के सिवा इक्बाल के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अब तो सरपंच ने भी इक्बाल को इक्बाल खान नाम से प्रमाणित कर दिया है। बैंक ने खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीद है अब खाता खुल जाएगा और इक्बाल को (पासबुक आदि में) नया नाम भी मिल जाएगा! सवाल है कि बैंककर्मियों के तर्क और नियम-कायदे क्या हमें ठीक से समझा सकते हैं कि देश के निवासी को अपनी पहचान साबित करने के लिए दो शब्दों की जरूरत क्यों है? धर्म-पंथ निरपेक्ष राज्य में जाति या सरनेम लगाना क्यों अनिवार्य है?

क्या नाम के पीछे खान, कुमार, कुमारी, लाल, चंद, हुसैन, कंवर, मोहम्मद या राम को बिठाना जरूरी है, खास कर बैंक वालों के लिए? खुद को अच्छा लगे तो अपने नाम के पीछे कोई जितना चाहे लिखे- एक, दो, तीन या चार शब्द! पर पहचान करने को व्यक्ति के तमाम दस्तावेजों के साथ फोटो भी तो होता है! दस्तखत और अंगूठा भी ले लो। फिर नाम छोटा हो या बड़ा, क्या फर्क पड़ता है? आइसीआइसीआई बैंक वालो, पहचान करनी है तो फोटो देख लीजिए न! सोचता हूं वरिष्ठ लेखक पत्रकार बनवारी या टीवी चैनल आईबीएन-7 वाले आशुतोष क्या करते होंगे? या समरथ को नहीं दोष गुसांई?

□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□-□ https://www.facebook.com/Jansatta

□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□-□ https://twitter.com/Jansatta